18-6-20

पत्रावली पेश हुई। राजस्व मण्डल राजस्थान
राजस्थान के आदेशानुसार कोरोना वायरस के
संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रकरण में सुनवाई
स्थगित की जाती है। पत्रावली पूर्वानुसार
दि० 17-8-20 को पेश हो।

17-8-20

पत्रावली पेश हुई। राजस्व मण्डल राजस्थान
राजस्थान के आदेशानुसार कोरोना वायरस के
संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रकरण में सुनवाई
स्थगित की जाती है। पत्रावली पूर्वानुसार
दि० 6-10-20 को पेश हो।

6-10-20

पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य
कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार
दिनांक 9-11-20 को पेश हो।

9-11-20

पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य
कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार
दिनांक 23-12-20 को पेश हो।

23-12-20

वादी की उप / Reg A) के तहत
कपय आदि। मार्तोअक्रम दिया जाता
दिनांक 19-2-21 को पेश कर

19-2-21

वादोपरांत वादिया के अधिवक्ता में के
भी उपस्थित नहीं हुई कई बार आवाज लगा
गयी दोनो वादिया व हाजरी कटपर
एवं प्रति भी तलबी Reg A) के नहीं भेजे
आदेशो भी पालना नहीं करते मारवाड़
R.S.C. के तहत याचिका खारिज
की जाती पत्रावली फैसलशुदा घोषित
की. दफ्तर